183

न्यायालय- माननीय राजस्व मण्डल , ग्वालियर म0प्र0

R-1684-I/16

1. बृजेश सिंह तनय तुलसीराम सिंह
2. योगेन्द्र सिंह तनय तुलसीराम सिंह
3. कु0 अनीता पुत्री तुलसीराम सिंह

सभी निवासी- ग्राम डिलाखेड़ी, तहसील बण्डा, जिला सागर म0प्र0
हाल निवास- गोपालगंज, सागर , तहसील व जिला सागर म0प्र0

.... आवेदकगण.

// बनाम //

1. श्रीमती रूपवती बाई पत्नि शिवराज सिंह
साकिन- ग्राम बहेरिया (मलवासी) तह0 व जिला सागर म0प्र0
2. श्रीमती चंदाबाई पत्नि राजकुमार
साकिन- नारायणपुर, हाल- डिलाखेड़ी,तह0 बण्डा ,जि0 सागर
3. श्रीमती जानकी बाई पत्नि इन्द्राज सिंह
साकिन- ग्राम बहेरिया (मलवासी) तह0 जि0 सागर म0प्र0

.... अनावेदकगण.

निगरानी अन्तर्गत धारा - 50 म0 प्र0 भू- राजस्व संहिता 1959

यह निगरानी, अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय सागर संभाग, सागर म0प्र0 द्वारा अपील प्र0क्र0- 558/अ-6/2007-2008 में पारित आदेश दिनांक- 24.09.2013 से परिवेदित होकर निम्न तथ्यों व आधारों पर माननीय मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है :-

1. यह कि, उपरोक्त अनावेदकगण के पिता स्व0 गिरधारी सिंह एवं गिरधारी सिंह की पत्नि बृजरानी उक्त आवेदकगण के नाना नानी हैं जो फौत हो चुके हैं । प्रतिअपी0 गण अ0प्र0/अनावेदिकागण, आवेदकगण की मां की बहिनें अर्थात आवेदकगण की मौसियां हैं । स्व0 गिरधारी व बृजरानी की कोई जीवित पत्र संतान नहीं है वह लम्बे समय तक बीमार रहे ,उनकी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1684/एक/2016 जिला–सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
24.6.16	यह निगरानी आवेदकगण द्वारा अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के प्रकरण क्रमांक 558/अ–6/2007–06 में पारित आदेश दिनांक 24.09.2013 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि अनावेदक के पिता स्वर्गीय गिरधारी सिंह एवं पत्नी बृजरानी आवेदकगण के नाना, नानी है, जो फौत हो चुके हैं। अनावेदकगण, आवेदकगण की माँ तथा मौसीयाँ है। स्वर्गीय गिरधारी व बृजरानी के कोई जीवित पुत्र सन्तान नहीं है व लम्बे समय तक बीमार रहे उनकी सेवा व इलाज आवेदकगण के माता–पिता करते रहे, स्वर्गवास होने पर तेरवीं की आवेदक की माँ मीराबाई का स्वर्गवास हो जाने पर उनका पालन पोषण रानी बृजरानी एवं अनावेदकगण द्वारा किया गया है। नाना गिरधारी के फौत होने पर अनावेदक क्रमांक 2 व 3 का विवाह आवेदक के पिता तुलसीराम किया, विवाह समस्त कर छुटाया इसलिए आवेदकगण की नानी बृजरानी एवं अनावेदकगण ने आवेदकगण के पक्ष में स्वेच्छापूर्वक	

एक पारिवारिक व्यवस्था पत्र निष्पादित किया कि मौजा डिलाखेड़ी तथा फतेहपुर, तहसील बण्डा में स्थित समस्त भूमि बिना किसी दबाव के दिनांक 06.09.1991 के व्यवस्था पत्र के तहत आवेदकगण को दी गयी है, जिसमें अनावेदकगण की पूर्ण सहमति है, जिसके आधार पर नायब तहसीलदार बण्डा के न्यायालय आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जो आदेश दिनांक 31.07.2007 को निरस्त कर दिया गया, जिसके पश्चात् अनुविभागीय अधिकारी को प्रस्तुत की गयी, जो आदेश दिनांक 14.07.2008 से निरस्त कर दी गयी। इसके बाद अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी जो आदेश दिनांक 24.09.2013 से निरस्त हुयी। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गयी हैं।

3– निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

4– आवेदकगण अभिभाषक ने तर्को में बताया कि उसके द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष अवधि वाह्य निगरानी प्रस्तुत की गयी है, जिसके साथ परिसीमा अधिनियम की धारा 5 का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है तथा उल्लेख किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश की जानकारी नहीं दी गयी और उनके अधिवक्ता द्वारा आदेश की जानकारी देरी से दी गयी है, ऐसी स्थिति में

जानकारी दिनांक से निगरानी अंदर अवधि में प्रस्तुत की गयी है, अतः सुनवाई हेतु वाह्य की जाये। अधिवक्ता की त्रुटि के लिए पक्षकार को दण्डित नहीं किया जाना चाहिए, इसलिए वर्तमान निगरानी में प्रस्तुत परिसीमा अधिनियम की धारा 5 का आवेदन सद्भाविक होने से स्वीकार किया जाता है।

5– आवेदक अभिभाषक के तर्को तथा उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक एवं अनावेदकगण के मध्य सहमति से पारिवारिक व्यवस्था पत्र सम्पादित किया गया था, जिसमें किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी थी। उक्त पारिवारिक व्यवस्था पत्र की प्रति आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत की गयी है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त व्यवस्था पत्र पर विधिवत विचार करने पर आदेश पारित करना चाहिए था किन्तु तहसील न्यायालय द्वारा उपरोक्त पारिवारिक व्यवस्था पत्र को बिना किसी साक्ष्य के आधार पर अमान्य कर किया गया है। जो न्याय के स्वच्छ प्रक्रिया नहीं है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश जो साक्ष्य पर आधारित नहीं है, वह स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7– उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 558/अ–6/2007–08 में पारित आदेश दिनांक24.09.2013, अनुविभागीय अधिकारी बण्डा द्वारा प्रकरण क्रमांक

68/अ–6/2006–07, 69/अ–6/2006–07 में पारित आदेश दिनांक 14.07.2008 एव नायब तहसीलदार बहरोल द्वारा प्रकरण क्रमांक 62/अ–6/2005–06, 63/अ–6/ 06–07 में पारित आदेश दिनांक 31.07.2007 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते है तथा प्रकरण तहसीलदार को इस निर्दश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह उभयपक्षों को सूचना, सुनवाई एवं साक्ष्य प्रर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण का निराकरण गुण–दोषों पर करें। इसी निर्देश के वर्तमान प्रकरण निरस्त किया जाता है।

सदस्य